

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.3 (ख) (एल-98/1989)/अलेसे-11/11778-788 दिनांक :- 3.3.2015

कार्यालय आदेश

श्री लोहडक्या मीणा, तत्कालीन कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, सवाईमाधोपुर वर्तमान में सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II (मेरिट नं 98/1989, लिंक नं. 3835) कार्यालय पंचायत समिति, खंडार (सवाईमाधोपुर) के विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो विशेष अनुसंधान इकाई, जयपुर में अपराध संख्या 12/2011, 14/2011, 15/2011 एवं 18/2011 में दर्ज प्रकरणों में धारा 13(1) सी.डी. 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 एवं धारा 120 बी भा.द.सं. के अन्तर्गत विभागीय क्रमांक 16620 से 16623 तक दिनांक 03.03.2015 के द्वारा अभियोजन स्वीकृति जारी किये जाने के फलस्वरूप तुरन्त प्रभाव से निलम्बित कर मुख्यालय उपकोषालय, गंगापुरसिटी किया जाता है। श्री मीणा को निलम्बन काल में नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय होगा।


(भास्कर शर्मा)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.3 (ख) (एल-98/1989)/अलेसे-11/11778-788 दिनांक :- 3.3.2015

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।
2. आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रेन्ज भरतपुर, मुख्यालय, जयपुर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, विशेष अनुसंधान इकाई, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
5. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, खंडार (सवाईमाधोपुर)।
6. कोषाधिकारी, सवाईमाधोपुर।
7. उपकोषालय, गंगापुरसिटी।
8. सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, सवाईमाधोपुर।
9. श्री लोहडक्या मीणा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II, पंचायत समिति, खंडार (सवाईमाधोपुर)।
10. वरिष्ठ निजी सहायक, निदेशक महोदय।
- ✓ 11. कम्प्यूटर अनुभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने/पी.आई.एस. इन्द्राज हेतु।
12. निजी पत्रावली/पदस्थापन सीट/रक्षित पत्रावली।
13. गोपनीय शाखा/जॉच शाखा।


03/03/15
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-II)